


भारत सरकार
कर्म स्थगित कर दिया है अतः पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 21/10/22 को पेश की है

21/10/22

सा. उपखण्ड अधिकारी
भारतपुरी कर्म स्थगित कर दिया है अतः पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 16/12/22 को पेश की है

16/12/22

पावली एवं वकील पावली उपक नहीं।
बार-बार आवाज दिया जा रहा है।
किन्तु कोई उपक नहीं आया। - बुकि
दावा दाही अहम हाफती एवं अहम
पैदवी में खारिज हो चुका है। ऐसी
निर्णय में पावली पावली भारती न
होने के कारण खारिज किया जाता
है। पूर्व में जारी T.I खारिज की
जाती है। पत्रवाली कारिका बफर
है।


उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)